# दैन (क़र्ज़) की ज़कात

1- क़र्ज़ की दो क़िस्मे हैंः पहली वह क़र्ज़ जिसके वसूल होने की कोई उम्मीद न हो, जैसेः डूबी हुई रक़म, दूसरी वह क़र्ज़ जिसके वसूल होने की पूरी उम्मद हो। जिस क़र्ज़ के वसूल होने की उम्मीद न हो अगर वह क़र्ज़ किसी तरह वसूल हो जाए तो उसपर वसूली के दिन से एक साल गुज़रने के बाद ही ज़कात वाजिब होगी।

2- क़र्ज़दार अगर क़र्ज़ देने वाले के बार बार के मुतालबे के बावजूद इस हद तक टाल मटोल करे कि क़र्ज़ देने वाला क़र्ज़ मिलने से मायूस हो जाए तो उस माल की ज़कात क़र्ज़ देने वाले पर वाजिब न होगी। अगर ऐसा क़र्ज़ वसूल हो जाए तो वसूल होने के बाद उसपर एक साल पूरा होने पर ही ज़कात वाजिब होगी।

3- जिस क़र्ज़ के वसूल होने की उम्मीद हो उसके भी तीन रूप हैं।

(अ) क़र्ज़, नक़द रक़म के रूप में दिया गया हो या व्यापारिक माल के रूप में उसकी वसूलयाबी के बाद उसपर गुज़रे हुए वर्षों की भी ज़कात देनी होगी।

(ब) ऐसा क़र्ज़ जो सामान या माल के बदले में दिया गया था लेकिन व्यापार या क़र्ज़ के लिए नहीं था, जैसे विरासत का माल या वसीयत का माल।

(स) ऐसा क़र्ज़ जो किसी माल के बदले न हो, जैसे महर। इन दोनों स्थितियों में दैन वसूल होने के बाद साल गुज़र जाने पर ज़कात लागू होगी, गुज़रे हुए सालों की ज़कात वाजिब न होगी।

4- सरकारी या ग़ैर सरकारी संस्थाओं से जो क़र्ज़ लम्बी अवधि के लिए दिया गया हो और उस की वापसी हर साल क़िस्त के रूप में की जानी हो, उसके लिए निर्देश यह है कि माल की ज़कात निकालने से पहले उस साल की क़िस्त अलग कर ली जाएगी। पूरे क़र्ज़ को माल से अलग करके नहीं देखा जाएगा।

☆☆☆